

---:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत आंशिक संशोधित कार्यालय-आदेश ::---

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं परवीन बानू आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली माह नवम्बर 2024 की रिमाण्ड ड्यूटी बाबत पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 52 दिनांक 05.11.2024 में सुश्री प्रियंका मीना, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम 01 हिण्डौनसिटी के दिनांक 23.11.2024 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आयोजित ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग लेने के कारण निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए कॉलम संख्या-2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

माह नवम्बर 2024

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
01.	02.	03.	04
1	श्री इन्द्रप्रकाश सैन RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली	23 व 24 नवम्बर 2024 (चतुर्थ शनिवार व रविवार)

नोट- उक्तांकित दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश दिनांक 05.11.2024 यथावत रहेगा।  
निर्देश:-

- अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
- नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

*Raveen Singh*  
21.11.24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
करौली

क्रमांक- 2455 2461

दिनांक:- 21.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली
- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- संबंधित अधिकारी सर्व श्री इन्द्रप्रकाश सैन न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली / सुश्री प्रियंका मीना AJM No 1 हिण्डौनसिटी
- सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय करौली सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करे तथा जिला न्यायालय करौली की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करे।
- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।
- आदेश पत्रावली / नोटिस बोर्ड

*Raveen Singh*  
21.11.24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
करौली

**---:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत आंशिक संशोधित कार्यालय-आदेश ::---**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं परवीन बानू आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली माह दिसम्बर 2024 की रिमाण्ड ड्यूटी बाबत पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 56 दिनांक 21.11.2024 में क्रम संख्या 02 पर कॉलम संख्या 03 में अंकित न्यायालय के नाम में सहवन से टंकनीय त्रुटि होने से निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए कॉलम संख्या-2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

माह नवम्बर 2024

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
01.	02.	03.	04
1	श्रीमती संयोगिता गहलोत RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौनसिटी	08 दिसम्बर 2024 (रविवार)

नोट- उक्तांकित संशोधन के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश क्रमांक 56 दिनांक 21.11.2024 यथावत रहेगा।  
निर्देश:-

- अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
- नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

*Pavleen Bansu*

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
करौली

क्रमांक- 2449-2454

दिनांक:- 22.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली
- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- संबंधित अधिकारी सर्व श्रीमती संयोगिता गहलोत, न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौनसिटी
- सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय करौली समी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करे तथा जिला न्यायालय करौली की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करे।
- प्रमारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।
- आदेश पत्रावली /नोटिस बोर्ड

*Pavleen Bansu*

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
करौली